भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4157
दिनांक 18.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

बुंदेलखण्ड में पेयजल समस्या

4157. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन॰आर॰डी॰डब्ल्यू॰पी॰) के अंतर्गत बुंदेलखंड में सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल समस्या से निपटने के लिए विशेष सहायता प्रदान करने का विचार है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) एन॰आर॰डी॰डब्ल्यू॰पी॰ के अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित बुंदेलखण्ड में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और विगत एक साल के दौरान पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) जल राज्य का विषय है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत, यह मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के कवरेज को बढ़ाने के लिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के तहत ऐसी कोई विशेष सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है।
(घ) वर्ष 2018-19 के दौरान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निवारण के लिए आबंटन का विवरण निम्नानुसार है:

(सभी धनराशि लाख रु. में)

क्र.सं.	जिले का नाम	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान किया गया आबंटन
बुंदेलखण्ड क्षेत्र (मध्य प्रदेश) के लिए किया गया आबंटन		
1	छतरपुर	178.67
2	दमोह	285.59
3	दतिया	74.55
4	पन्ना	134.62
5	सागर	524.02
6	टिकमगढ़	347.38
	कुल	**1544.83**
बुंदेलखण्ड क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) के लिए किया गया आबंटन		
1	बांदा	499.92
2	जालौन	21.41
3	झांसी	4456.56
4	ललितपुर	1967.89
	कुल	**6945.78**